न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चाहौन, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 143/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. मांगीलाल पुत्र खीयाराम 2. देवाराम पुत्र खीयाराम 3. चेनाराम पुत्र खीयाराम 4. बाबुलाल पुत्र लिखमाराम 5. रामचन्द्र पुत्र शिवलाल जातिगण माली निवासीगण निम्बोल तहसील जैतारण		सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री मांगीलाल प्रजापत, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से उप०

–: निर्णय :–

दिनांकः– 7/12/17

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 352/2016 में तहसीलदार जैतारण द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.10.2016 तथा न्यायालय जिला कलक्टर, पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 18/2017 में पारित निर्णय दिनांक 02.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि पटवारी हल्का निम्बोल की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार जैतारण द्वारा अपीलाण्ट्स के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर ग्राम निम्बोल के खसरा नम्बर 774/1 रकबा 3.15 बीघा गै0मु0 नाडी की भूमि पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण मानते हुए नोटिस जारी किया। समस्त अपीलाण्ट्स के नाम संयुक्त रूप से नोटिस जारी किया, जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रत्येक पक्षकार को व्यक्तिशः नोटिस जारी किया जाना आज्ञापक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये जुर्माना आरोपित किया एवं आदेश बेदखली पारित किया, साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए अपीलाण्ट्स को तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया। जबकि अपीलाण्ट मांगीलाल निम्बोल में निवास न कर अपने व्यवसायिक सिलसिले में गुजरात में निवास करता है, जिसका मौके पर कब्जा भी नही है, इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई जांच किये जैर अपील आदेश पारित किया, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त भूमि पर अपीलाण्ट्स का पश्चातवर्ती अतिक्रमण माना, किन्तु पश्चातवर्ती अतिक्रमण को साबित करने हेतु पुरानी पत्रावली, खसरा गिरदावरी, खसरा परिवर्तनशील आदि की प्रतियां बतौर साक्ष्य प्रस्तुत नही की तथा न ही ऐसी कोई मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिससे अपीलाण्ट्स का कब्जा साबित होता हो। वादस्थ भूमि खसरा नम्बर 774 रकबा 13 बीघा 6 बिस्वा व खसरा नम्बर 774/1163 रकबा 10 बीघा की भूमि अपीलाण्ट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

की खातेदारी भूमि है तथा उक्त खसरा नम्बर की भूमि की नक्शे में तरमीम नही है। मात्र कयासों के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा बिना सीमांकन किये विधि विरूद्ध रूप से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि एवं सरकारी भूमि पर कब्जे बाबत न तो कोई जांच की तथा न ही अपीलाण्ट्स को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मात्र कागजी कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम निम्बोल के खसरा नम्बर 774/1 रकबा 3.15 बीघा गै0मु0 नाडी की भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट्स के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किये गये है। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में परिलक्षित होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट्स द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में वकील अपीलाण्ट्स के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम निम्बोल के खसरा नम्बर 774/1 रकबा 3.15 बीघा गै0मु0 नाडी की भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। पटवारी हल्का निम्बोल द्वारा तहसीलदार जैतारण के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि मांगीलाल, देवाराम, चेनाराम पि0 खीयाराम, बाबुलाल पुत्र लिखमाराम, रामचन्द पुत्र शिवलाल माली द्वारा उपरोक्त भूमि पर कब्जा किया है, इस पर तहसीलदार जैतारण द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 03.10.2016 की तारीख पेशी नियत की। उक्त आदेश की पालना में जो नोटिस जारी किया गया, वह अपीलाण्ट देवाराम व रामचन्द्र से तामील करवाया गया, जो अपीलाण्ट्स के परिवार के व्यस्क सदस्य होने के कारण सम्यक तामील की परिभाषा में आने से तामील मानते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया। इस सम्बन्ध में पटवारी हल्का निम्बोल के बयान कलमबद्ध किये गये, जिसमें गवाह ने उक्त भूमि पर अपीलाण्ट्स का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने के कथन किये। उक्त साक्ष्य का अपीलाण्ट्स द्वारा किसी भी रूप में पुनःपरीक्षण नही किया है। अपीलाण्ट्स द्वारा यह कथन किया गया है कि उनका कब्जा सरकारी भूमि पर नही होकर स्वयं की सह खातेदारी भूमि पर ही है। इस हेतु स्वयं अपीलाण्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब अथवा साक्ष्य प्रस्तुत करने का न तो समय चाहा गया तथा न ही कोई सीमांकन आदि की कार्यवाही की, जिससे यह स्पष्ट हो सकता कि वास्तविक रूप से अपीलाण्ट्स किस भूमि पर काबिज थे, किन्तु अपीलाण्ट्स द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नही की, जो प्रकरण में उनकी स्वीकारोक्ति को प्रदर्शित करता है। हस्तगत प्रकरण में वादस्थ भूमि किस्म गै0मु0 नाडी है, जो कॉमन लैण्ड की श्रेणी में शुमार है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

2011 को निर्णय पारित करते हुए कॉमन लैण्ड में अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिये गये है। इसके अतिरिक्त उक्त किस्म की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा प्रकरण संख्या 352/2016 में तहसीलदार जैतारण द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.10.2016 तथा न्यायालय जिला कलक्टर, पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 18/2017 में पारित निर्णय दिनांक 02.05.2017 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 7/12/17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली